प्रतिवेदन

कार्य का नाम– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला दूधली मोटर मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.60 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

प्रस्तावित मोटर मार्ग पूर्वनिर्मित डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग के किमी0 2.00 चैंनेज 1.250 से प्रारम्भ होकर चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक एन0एच0–72 को जोड़ता है, चीनी मिल एवं कावड़ यात्रा में चांदमारी एवं डोईवाला में घनी आबादी एवं बाजार होने के कारण स्थानीय निवासियों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है। इस मार्ग के निर्माण से बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटक सीधे लच्छीवाला पर्यटक स्थल पंहुच जायेंगे उक्त मार्ग मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा में दो लेन की स्वीकृति प्रदान की गई है। आई0आर0सी0 एस0पी0 73 पेज नं0 36 के अनुसार राईट ऑफ वे के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर ही ली जानी सम्भव है भवष्यि में यदि एन0एच0 72 अवरूध होता है तो उक्त मार्ग एक बाई पास मार्ग का काम करेंगा। प्रस्तावित मार्ग वन विभाग द्वारा निर्मित कच्चे मार्ग का अनुक्षरण करता है संरेखण इसी कच्चे मार्ग पर प्रस्तावित है प्रस्तावित मार्ग हेतु जो भूमि ली गई है वह आरक्षित भूमि है प्रस्तावित मार्ग में नाप भूमि कहीं भी सम्मिलित नहीं की गई है। प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर आरक्षित वनभूमि है। स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादन के विपणन मे जो कठिनाई आती है उसका समाधान स्वतः ही हो जायेगा। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना एवं पीछड़े क्षेत्र का विकास करना है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

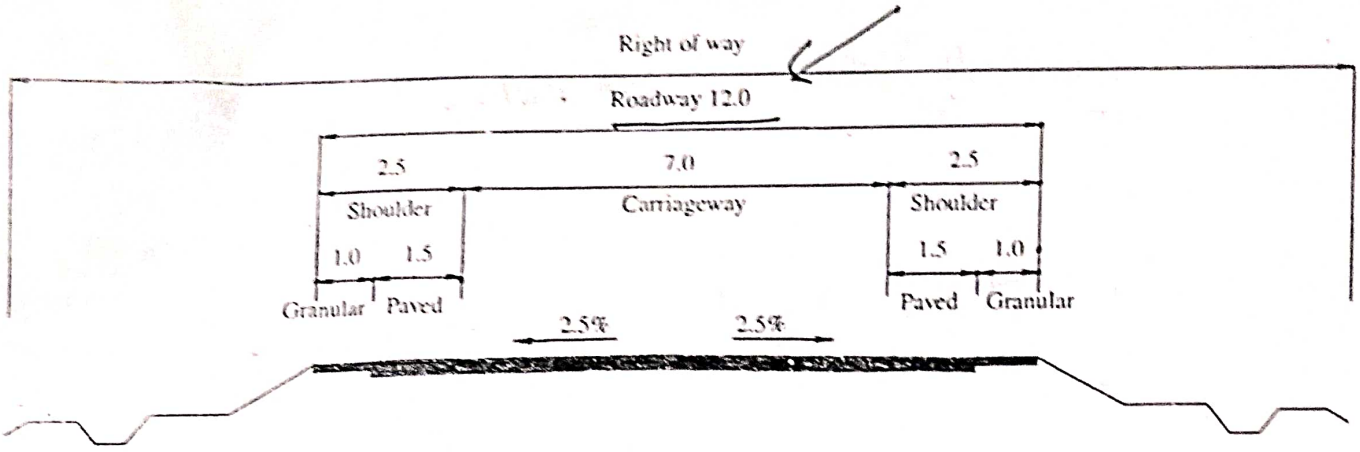

Note:
All dimensions are in metres.

Typical cross section
(Open country-plain/rolling terrain)
2-lane carriageway (with paved shoulders)
without service road

Fig. 2.1

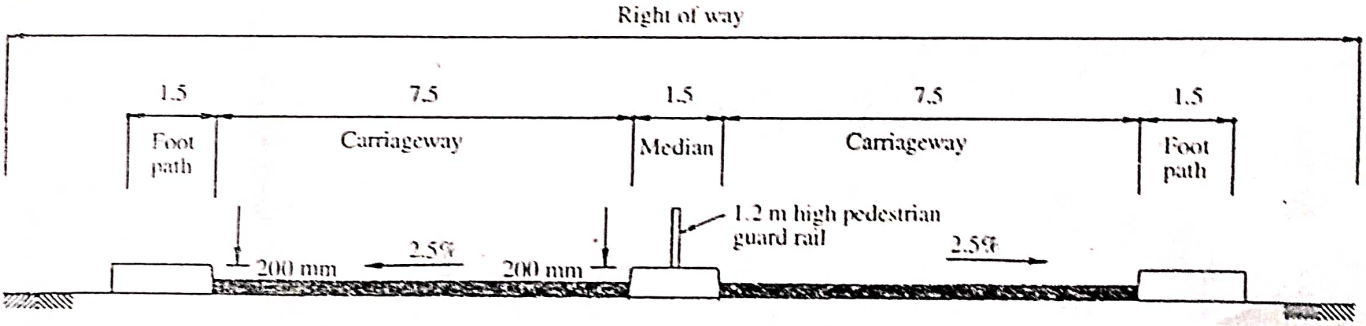

Note:
All dimensions are in metres except as shown otherwise.

Typical cross section
(Built-up area)
4-lane divided carriageway with footpath

Fig. 2.2